न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2012/00208 (67/2012) 223 आरटीएक्ट

1. देउ उर्फ देवकी पत्नी स्व0 आदुराम जाति ब्राम्हण साकिन ब्राम्हण मकान नं. 312 सैक्टर रनं. 5 नोहर तह0 नोहर जिला हनुमानगढ।
   1/1 जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति ब्राम्हण निवासी वार्ड नं. 29 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. धर्मेन्द्र पत्नी } पुत्रगण सुभाष नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता स्वयं दुर्गावती
2. जितेन्द्र सुभाष जाति ब्राम्हण सा0 रामपुरा।
3. सुभाष पुत्र आदुराम जाति ब्राम्हण सा0 रामपुरा तहसील टिब्बी
4. बृजलाल पुत्र मनफूल जाति जाट सा0 चाहुवाली तह0 टिब्बी
5. राजराम पुत्र चुन्नीराम जाति जाट नि09 चाहुवाली तह0 टिब्बी
6- तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 02.09.2008 द्वारा सहायक कलक्टर टिब्बी प्र. सं. 109/2008 बअनवानी धर्मेन्द्र आदि बनाम आदूराम आदि

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2

श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3

श्री विनोद पारिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4, 5

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 6

निर्णय दिनांकः–16.12.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने धारा 88, 188 एव 53 आरटीएक्ट में एक वाद पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि वाद में वर्णित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि होने के कारण उन बाई बर्थ राईट है। वादी ने वादपत्र की चरण संख्या 7

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

में अंकित भूमि में खातेदार काश्तकार की घोषणा करने वा खाता वादी का खाता प्रतिवादी से अलग खोला जाकर रकम राज अलग कायम करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने उपस्थित होकर जवाब मय काउण्टर क्लेम पेश किया व स्टेट की और से जवाब पेश हुआ। वाद में सभी पक्षकारों द्वारा राजीनामा होने वा काउण्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 3 से 4 स्वीकार करने के कारण दिनांक 02.09.2008 को वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि जो आदूराम के नाम दर्ज थी को हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पति बिना किसी देस्तावेजी साक्ष्य के मानते हुए अपीलाधीन निर्णय डिक्री पारित किये हैं। यदि आदूराम के नाम दर्ज भूमि को हिन्दु संयुक्त परिवार की भूमि मान भी ले तो भी विधिक रूप से विभाजन हो रहा हो तो पत्नी भी बराबर की हकदार होगी। वर्णित भूमि आदूराम की स्वयं अर्जित भूमि थी परन्तु अदालत ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य के ही विवादित भूमि को हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति मानते हुए विधि विरूद्ध तरीके से कानूनन शून्य राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 अगर विवादित भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की सम्पति साबित होने पर प्रतिवादी सुभाष (रेस्पोडेण्ट नं. 3) के कानूनन प्राप्त हिस्सा में से ही हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी थे। जबकि नियम व डिक्री में से रेस्पोडेण्ट नं. 1, 2 व 3 को हिस्सा से अधिक भूमि दी गई है। विवादित भूमि आदूराम की स्वयं अर्जित भूतमि है जिसमें अपीलाण्टा का स्व0 आदुराम के फौत होने पर विरास्तन निस्फ हिस्सा बनता है, परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने हिस्सा से अधिक भूमि अपने नाम अंकित करवा ली, जिससे मुझ अपीलाण्टा के हित प्रभावित होते हैं। अतः अपीलाण्टा बतौर तृतीय पक्ष हितबद्ध पक्षकार है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाण्टा ने आदूराम की मृत्यु होने के उपरानत जब स्व0 आदुराम की समसत भूमि का इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी को दिनांक 13.02.2012 को कागजात दिये तथा विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने को कहा तब पटवारी साहब ने कहा कि इन्तकाल सरपंच ग्राम पंचायत से मीटिंग में तस्दीक होगां तब बाद में पता कर करें तब

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाण्ट कई दफा पटवारी हल्का से पता किया तो बतलाया कि इन्तकाल तस्दीक नहीं हुआ है। तत्पश्चात् अपीलाण्ट दिनांक 10.04.2012 को पटवारी हल्का से मिलकर इंतकाल बाबत पूछा तो पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारे व सुभाष के नाम से चक 2 आरडब्ल्यू डी की भूमि का बहिस्सा बराबर इन्तकाल दर्ज हो गया है तथा बाकी दोनों चकों की भूमि एसडीएम टिब्बी के फैसले व आदेशानुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है तथा इन्तकाल की नकल हेतु कहा तब नकल प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश का पता चला। तब अपीलाण्ट ने नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2019 (1) पेज 84, आरआरटी 2019 (1) पेज 321, आरआरटी 2019 (1) पेज 751, आरबीजे 2008 पेज 393, आरबीजे 1998 पेज 410, आरआरडी 1982 पेज 493, आरबीजे 2019 पेज 436 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 न अपनी बहस में कथन कियाकि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक नं. 8 ए.जी. के प. नं. 219/358 किला नं. 1 से 25 की 6.200 है. पत्थर नं. 219/359 किला नं. 1 से 7 की 1.746 है. कुल 7.946 है. मय गैर मुमकिन में .490 हिस्सा अर्थात 6.199 है0 भूम खातेदारी दर्ज है तथा प्रतिवादी 3 का 58 हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 का 80 हिस्सा दर्ज खातेदारी है तथा चक नं. 1 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 30 के प. नं. 217/344 किला नं. 24 की .202 तथा चक नं. 1 आर.डब्ल्यूडी के खाता संख्या 3 में प. नं. 217/344 किला नं. 25 की .202 व पत्थर नं. 216/345 किला नं. 1 से 4, 7 से 10, 14 की 2.277 है0 कमाण्ड मय खाला व चक 2 आरडब्ल्यू डी प. नं. 218/342 किला नं. 3, 4, 13 से 18, 25 की 2.266 है. कुल 2.958 है. भूमि प्रतिवादी संख्या 1 आदूराम के नाम दर्ज है। जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायायल में सभी पक्षकारों को आपसी राजीनामा के आधार पर भूमि दी गई है। यह एक पारिवारिक सैटलमेंट है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है तथा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

5. रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
6. रेस्पोडेण्ट संख्या 4 व 5 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख 4 व 5 की हद तक जो खाता विभाजन किया है उसे अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट ने प्रश्गत नहीं किया है। हमारा वाद खाता विभाजन की हद तक ही है।
7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।
9. प्रश्नगत भूमि आदूराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसमें अपीलाण्टा आदूराम की पत्नी होने के कारण वह भी एक आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार है जिसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही बनाया गया। आदुराम के फौत होने पर विरास्तन अपीलाण्टा का हिस्सा बनता है जिसे पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अतः अपीलाण्टा एक आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार है। अतः अपीलाण्टा का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।
10. अधीनस्थ न्यायायल में अपीलाण्टा पक्षकार नहीं थी इसलिए अपीलाधीन निर्णय का उसको ज्ञान नहीं होना स्वाभाविक है। अतः अपीलाण्टा का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
11. अधीनस्थ न्यायायल में स्व0 आदूराम की भूमि के संबंध में इस्तकरार हक एव खाता विभाजन का दावा पेश किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपने दादा आदूराम के विरूद्ध आदूराम के नाम दर्ज भूमि में अपनी हक अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष मांगा गया था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने जवाब मय काउण्टर क्लेम पेश किया। काउण्क्टर क्लेम को वादीगण ने स्वीकार किया। विचारण न्यायालय ने राजीनामा एवं काउटर क्लेम के आधार पर वाद वादी स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान द्वारा राजीनामा किया गया था और राजीनामां के आधार पर ही निर्णय पारित किया गया है। **अधीनस्थ न्यायलाय ने प्रश्नगत भूमि को हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पति मानते हुए निर्णय पारित किया है विधिक रूप से पिता पुत्र के विभाजन हो रहा हेाते पत्नी भी बराबर की हकदार होती है।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

अधीनस्थ न्यायालय में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया। यदि प्रश्नगत भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है तो भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 अपने पिता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के हिस्से में से ही अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरबीज 2008 पेज 393 में यह निर्धारत किया है कि विभाजन अगर पति के जीवित समय होगा और पति पुत्र के बीच में होगा तो पत्नी का भी सम्पति में हिस्सा निहित हेागा। प्रस्तुत प्रकरण में भी पिता, पुत्र एवं दादा के मध्य विभाजन हुआ जिसमें दादी को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि उसका भी प्रश्नगत आरजी में हक अधिकार है। प्रश्नगत भूमि में अपीलाण्टा देउ उर्फ देवकी 1/2 हिस्सा है। देवकी का दिनांक 11.07.2014 को देहान्त हो चुका है। देउ उर्फ देवकी ने अपनी वसीयत वर्तमान अपीलाण्ट संख्या 1/1 जगदीश चन्द के नाम निष्पादिक करवाई गई है। इस वसीयत को निरस्त करवाने के लिए माननीय सिविल न्यायाधीश हनुमानगढ के दी. प्रकरण सं0 11/2015 दायर किया गया था जो दिनांक 09.07.2018 को खारिज कर दिया गया है, जिसकी प्रमाणित प्रति अपील में प्रस्तुत हुई है। इस प्रकार देउ उर्फ देवकी द्वारा की गई वसीयत दिनांक 04.03.2013 यथावत है जिसे किसी भी न्यायायल द्वारा निरस्त घोषित नही किया गया है। इसलिए देउ उर्फ देवकी के 1/2 हक हिस्से की भूमि के लिए अपीलाण्ट सें0 1/1 जगदीश पुत्र रामजीलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2008 आंशिक संशोधित किये जाने योग्य है।

12. उपरोक्त विवेचन एव विश्लषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.09.2008 में आंशिक संशोधन करते हुए चक 8 ए.जी. तहसील टिब्बी के प. नं. 8 ए.जी. तहसील टिब्बी के प. नं. मु. नं. 219/358 (5) किलानं. 1 से 25 की कुल तादादी 6.200 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी व चक 1 आरडब्ल्यूडी तहसील टिब्बी के प. नं. मु. नं. 317/344 (28) किला नं. 25 व 216/345 (40) किला नं. 1 से 4, 7 से 10 व 14 की 2.479 है. कमाण्ड भूमि में अपीलाण्ट जगदीश पुत्र रामजीलाल को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायायल का शेष अपीलाधीन निर्णय एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णियत शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2012/00208 (67/2012) 223 आरटीएक्ट

1. देउ उर्फ देवकी पत्नी स्व0 आदुराम जाति ब्राम्हण साकिन ब्राम्हण मकान नं. 312 सैक्टर रनं. 5 नोहर तह0 नोहर जिला हनुमानगढ।
   1/1 जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति ब्राम्हण निवासी वार्ड नं. 29 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. धर्मेन्द्र पत्नी } पुत्रगण सुभाष नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता स्वयं दुर्गावती
2. जितेन्द्र सुभाष जाति ब्राम्हण सा0 रामपुरा।
3. सुभाष पुत्र आदुराम जाति ब्राम्हण सा0 रामपुरा तहसील टिब्बी
4. बृजलाल पुत्र मनफूल जाति जाट सा0 चाहुवाली तह0 टिब्बी
5. राजराम पुत्र चुन्नीराम जाति जाट नि09 चाहुवाली तह0 टिब्बी
6. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी

–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 02.09.2008 द्वारा सहायक कलक्टर टिब्बी प्र. सं. 109/2008 बअनवानी धर्मेन्द्र आदि बनाम आदूराम आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2, श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3, श्री विनोद पारिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4, 5, श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 6, पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.09.2008 में आंशिक संशोधन करते हुए चक 8 ए.जी. तहसील टिब्बी के प. नं. 8 ए.जी. तहसील टिब्बी के प. नं. मु. नं. 219/358 (5) किलानं. 1 से 25 की कुल तादादी 6.200 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी व चक 1 आरडब्ल्यूडी तहसील टिब्बी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

प. नं. मु. नं. 317/344 (28) किला नं. 25 व 216/345 (40) किला नं. 1 से 4, 7 से 10 व 14 की 2.479 है. कमाण्ड भूमि में अपीलाण्ट जगदीश पुत्र रामजीलाल को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायायल का शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 16.12.2019 को जारी की गई।

(आशाराम डूडी आर. ए. एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 12:49:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: